The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 1 | January 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण का अध्ययन

Shailesh Kumar Prajapati
Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan
Dr. Sweetee Srivastava
Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Received: **01/01/2025**
Accepted: **15/01/2025**
Published: **30/01/2025**

Keywords महिला, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बलात्कार, छेड़छाड़,सामाजिक स्थिति.

.

ABSTRACT

महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण एक गम्भीर सामाजिक, कानूनी और नैतिक समस्या है, जो न केवल व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज की मूलभूत संरचना को भी कमजोर करती है। यह व्यवहार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है जैसे कि बलात्कार, छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियाँ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, घरेलू हिंसा आदि। भारत जैसे देश में, जहाँ पितृसत्तात्मक मानसिकता गहराई तक जमी हुई है, वहाँ यौन शोषण के अपराध अनेक बार अनदेखे रह जाते हैं या पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है। यौन शोषण केवल किसी स्त्री के शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि यह उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह अपराध समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण और कमजोर कानूनी कार्यान्वयन की उपज है।

प्रस्तावना

नारी हमेशा से मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रही है। उन्हें जन्म की अतुलनीय शक्ति प्रदान की जाती है। उन्हें मां बनने और बच्चे पैदा करने के लिए तैयार किया गया था। फिर भी, मानव जाति के बहु-आधे हिस्से ने भारत के पूरे इतिहास के साथ-साथ दुनिया के कई अन्य हिस्सों में असमान और द्वितीयक स्थिति का आनंद लिया।

परंपराएं, शास्त्र और कानून निर्धारित करते हैं कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहना चाहिए। प्राचीन भारतीय कानूनविद्, मनु ने घोषणा की "पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति "॥अर्थात्स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और जब उसका पति मर जाता है, तो पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नही रहना चाहिए।सामान्य तौर पर, महिलाएं पुरुष के अधीन होती हैं और उन पर अविश्वास किया जाता है। कुछ पुरुष उन्हें चंचल, झगड़ालू और असत्य मानते थे और इसलिए उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी क्योंकि यदि उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता तो वे पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले सकतीथी।

जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, "किसी राष्ट्र की प्रगति का सबसे अच्छा थर्मामीटर उसकी महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार है। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व के कल्याण का कोई अवसर नहीं है।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि युगों-युगों से नारी ने अन्याय सहा है, और इसने उसे असीम धैर्य और असीम दृढ़ता प्रदान की है। इस प्रकार, सभी प्रकार से पूर्ण नारीत्व का अर्थ है, पूर्ण स्वतंत्रता। महिलाओं को मानव जाति के अस्तित्व से ही समाज का एक शोषित वर्ग माना जाता रहा है। उन्हें उनके परिवार के साथ-साथ रिश्तेदारों द्वारा विभिन्न रूपों में वशीभूत किया गया और दबाया गया है, फिर भी उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है और अभी भी समय-समय पर ऐसे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करती रहती हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को देश के नागरिक के रूप में मान्यता देता है, उनके अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करता है और उन्हें विभिन्न रूपों में समानता का अधिकार प्रदान करता है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में संवैधानिक मूल्यों और लक्ष्यों को कितना कायम रखा गया है, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है।

भारत में कोई वास्तविक कानून नहीं है जो विशेष रूप से यौन अपराधों की परिभाषा से संबंधित हो। इस प्रकार, अन्य देशों के विधानों का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है जिन्होंने इस संबंध में इसी तरह के कानून बनाए हैं। अधिनियम के तहत, एक यौन अपराध को एक ऐसी यौन गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए किसी व्यक्ति ने सहमति नहीं दी है, और यह यौन व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है जो पीड़ित को असहज, भयभीत या डरा हुआ महसूस

कराता है। यौन अपराधों में बलात्कार, कौटुंबिक व्यभिचार, अभद्र अपराध, बाल यौन अपराध से लेकर शिशु यौन उत्पीड़न तक विस्तृत श्रेणी के अपराध शामिल हो सकते हैं।

'यौन अपराधों' की परिभाषा अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि यूके में यौन अपराधों की परिभाषा बच्चों से संबंधित है, तो आयरलैंड में यह यौन शोषण और बच्चों के यौन शोषण, यौन संवारने के साथ-साथ बाल पोर्नोग्राफी पर लागू होती है और यहां यौन कृत्य का अर्थ है एक ऐसा कार्य जिसमें यौन संबंध या गुंडागर्दी या कोई कृत्य जो अगर सहमति के बिना किया जाता है तो यौन हमला माना जाएगा। यदि हम इन दोनों परिभाषाओं की तुलना और विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि सहमति की अवधारणा अनिवार्य है और सहमति के बिना किया गया कार्य यौन कृत्य या यौन अपराध है। इस प्रकार, इन परिभाषाओं के घटक समान हैं लेकिन अलग-अलग नामों से परिभाषित किए गए हैं। इसलिए यौन अपमान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 'यौन व्यवहार' की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति को असहज, भयभीत और डरा हुआ महसूस कराता है। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे कृत्यों में हमेशा शारीरिक नुकसान या चोट शामिल नहीं होती है।

यौन शोषण का अर्थ और परिभाषा

यौन शोषण (Sexual Harassment) एक ऐसा आपराधिक व्यवहार है जिसमें किसी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक, मौखिक या इशारों के माध्यम से अशोभनीय और अश्लील व्यवहार किया जाता है। इसका उद्देश्य पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, डराना, या उसका शारीरिक/मानसिक लाभ उठाना होता है। यह व्यवहार व्यक्ति की गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

कानूनी रूप से भारत में "यौन उत्पीड़न" को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अनुसार, यदि कोई पुरुष किसी महिला को अश्लील इशारे करता है, अशोभनीय प्रस्ताव देता है, उसका पीछा करता है, अश्लील टिप्पणी करता है या उसे जबरन शारीरिक स्पर्श करता है, तो यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

सर्वोच्च न्यायालयद्वारा 1997 में दिए गए*विषाका बनाम राजस्थान राज्य*निर्णय में यौन शोषण की परिभाषा दी गई थी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल या किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ निम्नलिखित कार्य करता है, तो वह यौन शोषण की श्रेणी में आएगा:

- अवांछित शारीरिक संपर्क और घूरना,
- यौन संबंधों के लिए दबाव बनाना,

- अश्लील चित्र, शब्द या हरकतें दिखाना या करना,
- अश्लील टिप्पणी करना या संकेत देना,
- धमकी देना कि यदि वह सहयोग नहीं करेगी तो उसके करियर या छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

यौन शोषण केवल शारीरिक आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक उत्पीड़न, अश्लील संदेश भेजना, सोशल मीडिया के माध्यम से पीछा करना, साइबर बुलिंग आदि भी शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पीड़िता के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ता है।

1.2 महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के प्रकार

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध आधुनिक समाज की सबसे गंभीर और व्यापक समस्याओं में से एक हैं, जो न केवल उनके शरीर, आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर आघात करते हैं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता और संवेदनशीलता को भी कठघरे में खड़ा करते हैं। यौन अपराध केवल बलात्कार तक सीमित नहीं होते, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। यौन अपराधों के स्वरूप समय के साथ विकसित होते गए हैं और आज ये पारंपरिक रूपों के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों में भी अपना स्थान बना चुके हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, वहाँ यौन अपराधों की प्रकृति और प्रकार को समझना आवश्यक हो जाता है ताकि उनके रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें।

सबसे पहला और गंभीर यौन अपराध है**बलात्कार (Rape)**, जो महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाना है। यह अपराध शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक रूप से भी महिला को तोड़ देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के अंतर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। समय के साथ बलात्कार की परिभाषा में भी विस्तार किया गया है, जैसे कि विवाह के भीतर पत्नी के साथ जबरन संबंध (Marital Rape), सामूहिक बलात्कार (Gang Rape), नाबालिग के साथ बलात्कार (Statutory Rape) आदि।

दूसरा प्रमुख प्रकार है**छेड़छाड़ (Molestation)**, जिसमें किसी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से इस प्रकार परेशान किया जाता है जिससे उसे असहजता, भय या अपमान का अनुभव हो। इसमें महिला के अंगों को अनुचित तरीके से छूना, उसके कपड़ों में झांकना, सड़क पर पीछा करना आदि शामिल होते हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment), विशेषकर**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न**, एक अन्य गंभीर समस्या है। 2013 में भारत सरकार द्वारा 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम' लागू किया गया, जिसके तहत हर संस्था में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। यौन उत्पीड़न में अश्लील इशारे, यौन संबंध का प्रस्ताव देना, अश्लील भाषा का प्रयोग, अनचाही शारीरिक निकटता, धमकी देना आदि आते हैं।

आज के डिजिटल युग में**साइबर यौन अपराध (Cyber Sexual Crimes)**एक तेजी से बढ़ता हुआ यौन अपराध है। इसमें महिलाओं को सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स आदि के माध्यम से अश्लील संदेश भेजना, उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करना, निजी जानकारी को सार्वजनिक करना, रेवनज पोर्न, फर्जी प्रोफाइल बनाना आदि शामिल हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

छवि धूमिल करने वाले अपराध (Character Assassination)भी महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार का यौन अपराध है, जिसमें झूठी अफवाहें फैलाकर, उनकी अश्लील तस्वीरें या वीडियो प्रसारित कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह अपराध विशेषकर युवा लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

स्त्री की सहमति के बिना अश्लील सामग्री दिखाना या सुनाना, जैसे पोर्न वीडियो या चित्र जबरन दिखाना, भी एक यौन अपराध की श्रेणी में आता है। यह महिलाओं को मानसिक रूप से झकझोर देता है और डर का माहौल पैदा करता है।

'वॉयेरिज्म' (Voyeurism)और**'एक्सीबिशनिज़्म' (Exhibitionism)**भी आधुनिक यौन अपराधों में आते हैं। वॉयेरिज्म में कोई व्यक्ति चोरी-छिपे महिला की निजी गतिविधियों जैसे स्नान करना, कपड़े बदलना, आदि को देखता है या रिकॉर्ड करता है। जबकि एक्सीबिशनिज़्म में अपराधी सार्वजनिक स्थान पर अपने गुप्तांगों को उजागर करता है। ये दोनों कृत्य पीड़िता के मन में भय, शर्म और असुरक्षा की भावना भरते हैं और उन्हें गंभीर मानसिक आघात देते हैं।

पीछा करना (Stalking)भी एक आम यौन अपराध बनता जा रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति बार-बार महिला का पीछा करता है, उसे कॉल या मैसेज करता है, उसका सोशल मीडिया पर पीछा करता है या उसे धमकाता है। यह अपराध IPC की धारा 354D के अंतर्गत दंडनीय है। यह अपराध अधिकतर उन महिलाओं के साथ होता है जिन्होंने किसी प्रस्ताव को ठुकराया हो या किसी संबंध को समाप्त किया हो।

बच्चियों के साथ यौन अपराध (Child Sexual Abuse)भी एक भयानक यथार्थ है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ यौन शोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत बलात्कार, अश्लील स्पर्श, यौन प्रस्ताव, अश्लील सामग्री दिखाना, बाल पोर्नोग्राफी आदि आते हैं। ऐसे अपराधों के लिए विशेष रूप

से*POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012*बनाया गया है जो बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

मानव तस्करी (Human Trafficking)के अंतर्गत महिलाओं और लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, अवैध अंग व्यापार या घरेलू गुलामी में धकेला जाता है। यह यौन अपराध का एक व्यापक स्वरूप है जो आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक शोषण से जुड़ा होता है। यह अपराध केवल शारीरिक शोषण नहीं करता, बल्कि महिला को एक वस्तु की तरह बेचने और खरीदने का काम करता है, जो उसकी मानवता के विरुद्ध है।

विवाह के भीतर यौन शोषण (Marital Rape)भारत में अभी तक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह भी एक गंभीर यौन अपराध का रूप है। जब पति पत्नी की सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाता है, तो वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्त्री को प्रताड़ित करता है। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इसे भी दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की जाती रही है।

यौन शोषण के प्रमुख कारण

यौन शोषण एक गंभीर सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्या है, जो किसी भी महिला, बच्ची या व्यक्ति के जीवन में असुरक्षा, भय, मानसिक पीड़ा और सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकता है। यह केवल एक शारीरिक अपराध नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक विकृति, सत्ता और नियंत्रण की भावना, और समाज में व्याप्त असमानताओं का परिणाम है। यौन शोषण के पीछे कई कारक होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से इस अपराध को जन्म देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। इन कारणों की गहराई से समझ न केवल समस्या की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि उनके निराकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने में भी सहायक होती है।

1. पितृसत्तात्मक मानसिकता

भारत सहित अधिकांश समाजों में पितृसत्ता गहराई से जमी हुई है। यह मान्यता कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है, निर्णय लेने और नियंत्रण में पुरुष की प्राथमिकता होनी चाहिए, यौन शोषण की प्रमुख मानसिक आधारभूमि तैयार करती है। जब पुरुष स्त्री को एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि एक वस्तु या अधिकार की चीज़ मानते हैं, तब वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को भी अपना अधिकार समझते हैं।

2. स्त्री के प्रति वस्तुकरण की प्रवृत्ति

मीडिया, विज्ञापन, फिल्में और सामाजिक व्यवहार में स्त्रियों को सुंदरता, यौन आकर्षण और भोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुति पुरुषों के मन में यह विचार पक्के करती है कि स्त्री

केवल उनकी यौन इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम है। यही मानसिकता यौन शोषण को सामान्य और स्वीकार्य बनाती है।

3. शिक्षा और नैतिक मूल्यों की कमी

यौन अपराध करने वालों में से अधिकांश ने न तो लिंग संवेदनशीलता की शिक्षा प्राप्त की होती है और न ही उन्हें यह सिखाया गया होता है कि स्त्री की 'ना' का अर्थ 'ना' ही होता है। विद्यालयों और परिवारों में नैतिक शिक्षा, सहमति का अर्थ, और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना की कमी, युवाओं को गलत दिशा में ले जाती है।

4. कानून का डर न होना और न्यायिक प्रक्रिया में देरी

यौन शोषण के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि अपराधी को कानून का कोई डर नहीं होता। क्योंकि या तो वह जानता है कि मामला दर्ज ही नहीं होगा, या फिर केस लंबा चलेगा और साक्ष्य के अभाव में वह छूट जाएगा। कई बार पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, और अदालतों में वर्षों तक केस लंबित रहते हैं। इस न्यायिक विफलता से अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है।

5. पीड़िता को दोष देना

भारतीय समाज में एक आम प्रवृत्ति है कि यौन शोषण की शिकार महिला को ही दोषी माना जाता है। उसके कपड़े, समय, व्यवहार, चाल-ढाल, यहाँ तक कि उसकी सामाजिक स्थिति पर भी सवाल उठाए जाते हैं। यह रवैया पीड़िता को रिपोर्ट करने से रोकता है और अपराधी को सामाजिक रूप से संरक्षण देता है।

6. अश्लीलता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग

इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने जहां जीवन को सरल बनाया है, वहीं पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियो, फर्जी प्रोफाइल, मॉर्फिंग, और 'रेवेंज पोर्न' जैसी चीज़ें यौन अपराध को बढ़ावा देती हैं। बहुत से युवा इंटरनेट से गलत यौन धारणाएं सीखते हैं और वास्तविक जीवन में उन्हीं को लागू करने की कोशिश करते हैं।

7. नशा और मानसिक असंतुलन

नशा जैसे शराब, ड्रग्स आदि यौन शोषण के मामलों में एक आम कारण के रूप में सामने आते हैं। नशे की हालत में अपराधी आत्म-नियंत्रण खो बैठता है और किसी की सहमति-असहमति की भावना समाप्त हो जाती है। मानसिक रूप से अस्थिर या विकृत सोच वाले लोग भी यौन अपराध कर बैठते हैं।

8. सत्ता और नियंत्रण की भावना

कई बार यौन शोषण केवल यौन संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि पीड़िता पर नियंत्रण जताने, उसे मानसिक रूप से तोड़ने और सत्ता का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे – कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधीनस्थ महिला को प्रमोशन या नौकरी की धमकी देकर यौन उत्पीड़न करना।

9. सांस्कृतिक चुप्पी और शर्म

महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि यौन विषयों पर बात करना अनुचित है। यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो भी वे शर्म, सामाजिक बदनामी, या परिवार की प्रतिष्ठा के कारण चुप रहती हैं। यह चुप्पी अपराधियों को बार-बार अपराध करने का अवसर देती है।

10. राजनीतिक संरक्षण और सामाजिक प्रभाव

कई बार यौन अपराधी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित या आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में पीड़िता या उसके परिवार को डराया-धमकाया जाता है या मामले को दबा दिया जाता है। कई बार पुलिस और प्रशासन भी दबाव में आकर उचित कार्रवाई नहीं कर पाते।

11. लिंग आधारित भेदभाव और असमानता

जब समाज में लड़का-लड़की को अलग-अलग नजर से देखा जाता है, तब लड़कों में एक श्रेष्ठता की भावना और लड़कियों में हीनता का भाव भर दिया जाता है। यह असमानता यौन शोषण की मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार करती है।

12. घरेलू हिंसा और पारिवारिक दबाव

कई महिलाएं घरेलू वातावरण में ही यौन शोषण का शिकार होती हैं – जैसे रिश्तेदार, सौतेले संबंध, पति आदि द्वारा। ऐसे मामलों में पारिवारिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से महिलाएं चुप रह जाती हैं। यह 'इनसाइड क्राइम' सबसे अधिक रिपोर्ट न होने वाले अपराधों में से है।

13. बाल विवाह और कम उम्र में यौन संबंध

बाल विवाह, जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, लड़कियों को शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण की स्थिति में डाल देता है। कम उम्र में शारीरिक संबंध उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए घातक सिद्ध होते हैं।

14. रोज़गार और शिक्षा की कमी

जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होतीं तो वे शोषण का शिकार आसानी से बनती हैं, क्योंकि उन्हें विरोध करने, रिपोर्ट करने या स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का साहस नहीं होता। शिक्षा और

जागरूकता की कमी से वे अपने अधिकारों और कानूनों से भी अनभिज्ञ रहती हैं।

यौन शोषण के विरुद्ध भारतीय कानून

यौन शोषण समाज की एक ऐसी विकृति है, जो महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता पर सीधा आघात करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से परिपक्व देश में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान और दंड संहिता दोनों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त जीवन प्रदान करना है, जहाँ वे बिना किसी शारीरिक, मानसिक या यौन भय के समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यौन शोषण के विरुद्ध भारतीय कानूनों की संरचना बहुआयामी है, जो विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित करती है और उनके लिए सजा का निर्धारण करती है।

सबसे प्रमुख कानूनभारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) है, जो यौन शोषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए स्पष्ट धाराएँ प्रदान करता है। इसके अंतर्गत:

1. धारा 354 - महिला की गरिमा का अपमान

यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला के शरीर को छूता है, या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

2. धारा 354A - यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)

यह धारा विशेष रूप से कार्यस्थल, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें शामिल हैं:

- अश्लील टिप्पणी करना
- यौन संबंध का अवांछित प्रस्ताव देना
- शारीरिक संपर्क की कोशिश करना
- अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना यह अपराध संज्ञेय और दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

3. धारा 354B - महिला को निर्वस्त्र करने या कपड़े फाड़ने का प्रयास

यदि कोई व्यक्ति महिला की अनुमति के बिना जबरदस्ती उसके वस्त्र हटाने या उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, तो यह धारा लागू होती है। इसके तहत 3 से 7 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है।

4. धारा 354C - वॉयेरिज्म (Voyeurism)

यदि कोई पुरुष किसी महिला की निजता में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि स्नान करते समय, कपड़े बदलते समय चोरी-छिपे देखता है या वीडियो बनाता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। यह अपराध 1 से 3 वर्ष तक की सजा के साथ जुड़ा है।

5. धारा 354D - पीछा करना (Stalking)

जब कोई व्यक्ति बार-बार किसी महिला का पीछा करता है, उसे कॉल या मैसेज करता है, या सोशल मीडिया पर उसका पीछा करता है, तो यह अपराध इस धारा के अंतर्गत आता है। पहली बार के अपराध पर 3 वर्ष तक की सजा और दोहराने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

6. धारा 375 और 376 - बलात्कार (Rape)

यह सबसे गंभीर यौन अपराधों में से एक है। धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और धारा 376 इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित की गई है। यदि पीड़िता नाबालिग हो, या अपराध सामूहिक बलात्कार का हो, तो सजा और कठोर हो सकती है। निर्भया कांड के बाद इन धाराओं में कई संशोधन किए गए हैं, जैसे:

- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- मृत्युदंड का प्रावधान (गंभीर मामलों में)
- बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करना अब पुलिस के लिए अनिवार्य किया गया है।

7. POCSO Act, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act)

यह कानून विशेष रूप से बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र) को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, अश्लील टचिंग आदि को अपराध माना गया है। इस कानून की विशेषता यह है कि इसमें पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखने, महिला पुलिस द्वारा पूछताछ, और त्वरित न्याय की व्यवस्था है।

8. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून – 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013)

इस कानून को "विषाका गाइडलाइंस" के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में दिए गए निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित

करना है। यह कानून किसी भी संगठन, संस्था, निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान आदि पर लागू होता है। इसके तहत प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) बनाना अनिवार्य है, जिसमें महिला अध्यक्ष, दो महिला सदस्य और एक बाहरी सदस्य का होना आवश्यक है। शिकायत दर्ज होने के बाद समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाती है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000)

साइबर यौन अपराध जैसे कि अश्लील चित्र भेजना, महिला की बिना अनुमति के उसकी फोटो या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना, पोर्नोग्राफी आदि को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसकी धारा 66E, 67, और 67A इन अपराधों को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 3 से 5 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

10. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

हालांकि यह अधिनियम मुख्यतः घरेलू हिंसा को रोकने के लिए है, लेकिन इसके तहत यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक हिंसा को भी शामिल किया गया है। पीड़िता को संरक्षण, भरण-पोषण, और वैकल्पिक आवास जैसी राहतें मिलती हैं।

इन कानूनों के अलावा, भारतीय संविधान केअनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से संरक्षण और गरिमा से जीने का अधिकार देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भी 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' की बात की गई है, जो हर महिला के लिए समान रूप से लागू होती है।

हाल के सुधार और पहलें

- **निर्भया फंड**की स्थापना की गई है ताकि महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

- कई राज्य सरकारों ने महिलाओं की हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप्स और महिला पुलिस थानों की स्थापना की है।

- **फास्ट ट्रैक कोर्ट**के माध्यम से यौन अपराधों के मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया गया है।

- **वन स्टॉप सेंटर योजना**के तहत पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी सहायता और परामर्श जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

निष्कर्ष

महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण एक अत्यंत गंभीर सामाजिक, कानूनी और नैतिक समस्या है, जो न केवल महिला की गरिमा, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि पूरे समाज की मानवता और नैतिक संरचना को भी चुनौती देती है। यह समस्या वैश्विक स्तर पर विद्यमान है, किंतु भारतीय समाज में इसके विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। यौन शोषण का व्यवहार अनेक रूपों में सामने आता है—बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करना, अश्लील टिप्पणियाँ करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, साइबर उत्पीड़न, और घरेलू हिंसा के माध्यम से भी। ये सभी रूप महिलाओं के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं।इस परिघटना के मूल में पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं को वस्तु समझने की मानसिकता, और समाज में व्याप्त पुरुष वर्चस्व की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से कार्य करती है। अधिकांश मामलों में यौन शोषण की घटनाएँ पीड़िता को दोषी ठहराने, न्याय प्रक्रिया में लापरवाही, और सामाजिक कलंक के डर के कारण रिपोर्ट नहीं की जातीं। यह चुप्पी अपराधियों को और अधिक साहसी बना देती है, जिससे अपराध का चक्र निरंतर चलता रहता है। जब तक समाज महिलाओं को एक समान मानव अधिकार और गरिमा नहीं देगा, तब तक यह समस्या केवल कानूनों से नहीं सुलझेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- गिरजाऔरवर्गीज (2018): महिलाएँऔरअपराध, सेजप्रकाशन, नईदिल्ली
- वीनामजूमदार (2018): भारतमेंमहिलाओंकीस्थिति, संबद्धप्रकाशक, नईदिल्ली
- रामआहूजा (2017): महिलाओंकेखिलाफअपराध, रावतप्रकाशन, जयपुर
- वॉकेटसैंड्रा (2019): विक्टिमोलॉजी: पीड़ितऔरआपराधिकन्यायप्रणाली, अनविनहाइमनलिमिटेड, यूके
- सुषमासूद (2020): अपराधविज्ञानकाभविष्य, सेजपब्लिकेशन्स, नईदिल्ली
- डेविडनेल्केन (2014): अपराधविज्ञानकाभविष्य, सेजपब्लिकेशंस, नईदिल्ली
- लक्ष्मीलिंगम (2018): लिंगजांचपरीक्षणऔरकन्याभ्रूणहत्या: जन्मसेपहलेभेदभाव, महिलास्वास्थ्यमुद्दे: एकपाठक, विकासपब्लिशिंग, दिल्ली
- ज्योत्सनामिश्रा (2020): महिलाएँऔरमानवाधिकार, कल्पाजप्रकाशन, नईदिल्ली।

- एमकेरॉय (2020): महिलाओंकेखिलाफहिंसा, कॉमनवेल्थ, नईदिल्ली
- रचनाकौशल (2020): भारतमेंमहिलाएँऔरमानवाधिकार। 92 विलियमएस. कैथरीन (2001): अपराधशास्त्रपरपाठ्यपुस्तक, यूनिवर्सललॉपब्लिशिंगकंपनीप्राइवेटलिमिटेड, नईदिल्ली
- डॉ.एस.एस. श्रीवास्तव (2012): अपराधविज्ञानऔरआपराधिकप्रशासन, केंद्रीयविधिएजेंसी, इलाहाबाद।
- आर.सी. हिरेमथ (2012) चुनौतीपूर्णदुनियामेंमहिलाएं, पॉइंटरपब्लिशर्स, जयपुर
- आर.आई.मॉबीऔरएस. वॉकलेट (2012): क्रिटिकलविक्टिमोलॉजी, सेजपब्लिकेशंसलिमिटेड, लंदन
- सौम्याकुशवाहा (2013): महिलाकल्याण, रावतपब्लिकेशन्स, नईदिल्ली।
- मनविंदरकौरऔरअमरसुल्ताना (2015): जेंडररियलिटीज़, अभिषेकपब्लिकेशन्स, चंडीगढ़।
- पी.आर. भारद्वाज (2015): लैंगिकभेदभाव, महिलासशक्तिकरणकीराजनीति, अंबिकापब्लिशिंग, नईदिल्ली
- प्रकाशतलवार (2016): विक्टिमोलॉजी, ईशाबुक्स, दिल्ली
- मोनिकाचावला (2016): लैंगिकन्याय: भारतमेंमहिलाएँऔरकानून, डीपएंडडीपपब्लिकेशंस, नईदिल्ली
- एम.ए. खान (2016): महिलाएँऔरमानवाधिकार, एसबीएसप्रकाशन, नईदिल्ली
- डॉ. मोहिनीवी. गिरी (2016): समाजमेंवंचितमहिलाओंकीअसमानस्थिति, ज्ञानपब्लिशर्स, नईदिल्ली
- उषानायर (2016): दिल्लीकीअजन्मीबेटी, दवूमनप्रेस, दिल्ली